बिहार राजकीय/राजकीयकृत/परियोजना/उत्क्रमित विद्यालय

वर्ग नवम, दशम और ग्यारहवीं, बारहवीं में निर्धारित पुनरीक्षित शुल्क

क्र. स.	मद विवरणी	IX (नामांकन)	X (सत्रारंभ)	XI (नामांकन)		XII (सत्रारंभ)	
				कला	विज्ञान	कला	विज्ञान
1	प्रवेश शुल्क (नामांकन शुल्क)	50	-	50	50	-	-
2	शिक्षण शुल्क	-	-	180	240	180	240
3	विकास शुल्क	80	80	200	200	200	200
4	स्थानांतरण शुल्क	10	-	20	20	-	-
5	विज्ञान शुल्क	10	10	-	200	-	200
6	अनुपस्थिति दण्ड	-	-	-	-	-	-
7	विलम्ब दण्ड शुल्क	-	-	-	-	-	-
8	पलायन शुल्क	-	-	-	-	-	-
9	पुन: प्रवेश शुल्क	-	-	-	-	-	-
10	क्रीड़ा शुल्क	20	20	30	30	30	30
11	मनोरंजन शुल्क	20	20	60	60	60	60
12	निर्धन छात्र कोष	10	10	10	10	10	10
13	विद्युत शुल्क	20	20	80	80	80	80
14	पुस्तकालय	-	-	20	20	20	20
15	विद्यालय रख-रखाव	50	50	150	150	150	150
16	परिचय पत्र	20	-	20	20	-	-
17	बालचर	10	10	-	-	-	-
18	विविध	-	-	-	-	-	-
19	फार्म/प्रोस्पेक्टस	-	-	-	-	-	-
20	परीक्ष शुल्क	120	120	120	120	120	120
कुल	GEN BC EBC	420	340	940	1200	850	1110
	SC ST	340	260	560	760	470	670

Bihar Secondary School Teacher's Association
बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ (BSTA)
जिला शाखा - सीतामढ़ी

स्थापना वर्ष:-1925, सीता घाट (मौनी बाबा आश्रम) रेलवे स्टेशन के समीप, सीतामढ़ी, पिन- 843302

Mobile No.:-+918789519526, +919852867605 E-mail Id:- secbstasita@gmail.com

पत्रांक:- दिनांक:-

बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, पटना के ज्ञापांक 720 दिनांक 21.12.2021 के आलोक में राजकीय/ राजकीयकृत (प्रोजेक्ट एवं उत्क्रमित सहित) एवं मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित शुल्क विवरणी निम्न प्रकार है -

क्र.सं.	मद विवरण	9 th नामांकन	10 th सत्रारंभ	11 वीं नामांकन		12 वीं सत्रारंभ	
				कला/वाणिज्य	विज्ञान/व्या0	कला/वाणिज्य	विज्ञान/व्या0
1	प्रवेश शुल्क	50	0	50	50	0	0
2	शिक्षण शुल्क	0	0	180	240	180	240
3	विकास शुल्क	80	80	200	200	200	200
4	स्थानान्तरण	10	0	20	20	0	0
5	विज्ञान प्रयोगशाला	10	10	0	200	0	200
6	क्रीड़ा/खेल-कूद	20	20	30	30	30	30
7	मनोरंजन	20	20	60	60	60	60
8	निर्धन छात्र कोष	10	10	10	10	10	10
9	विधुत	20	20	80	80	80	80
10	पुस्तकालय	0	0	20	20	20	20
11	विद्यालय रख-रखाव	50	50	150	150	150	150
12	परिचय पत्र	20	0	20	20	0	0
13	बालचर	10	10	0	0	0	0
14	परीक्षा	120	120	120	120	120	120
कुल	**GEN/BC/EBC**	**420**	**340**	**940**	**1200**	**850**	**1110**
	SC/ST	**340**	**260**	**560**	**760**	**470**	**670**

1 कक्षा 9 में नामांकित छात्र/छात्रा का उसी विद्यालय में नामांकन होने पर 11 वीं में नामांकन शुल्क 50 रुपये नहीं लिया जायेगा |

2 क्रमांक 1, 2, 3, एवं 4 की राशि विकास कोष में जमा होगी |

3 अन्य क्रमांक की राशि छात्र कोष में जमा होगी |

4 अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से क्र.सं. 02 शिक्षण शुल्क एवं क्र.सं. 03 विकास शुल्क नहीं लिया जायेगा |

5 वर्ग 11 वीं में नामांकन के समय फॉर्म एवं प्रॉस्पेक्टस छपाकर छात्रों को देना है जिसका शुल्क बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा |

6 विशेष जानकारी के लिए सरकार के ज्ञापांक 720 दिनांक 21.12.2021 का अवलोकन करें |

Bihar Secondary School Teacher's Association
बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ (BSTA)
जिला शाखा - सीतामढ़ी
स्थापना वर्ष:-1925, सीता घाट (मौनी बाबा आश्रम) रेलवे स्टेशन के समीप, सीतामढ़ी, पिन- 843302

Mobile No.:-+918789519526, +919852867605 E-mail Id:- secbstasita@gmail.com

वर्ग 9 th में नामांकन हेतु आवश्यक कागज़ात -

1 नामांकन आवेदन पत्र भरा हुआ |
2 वर्ग आठवीं का विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र मूल प्रति
3 बैंक खाता की छाया प्रति
4 आधार कार्ड की छाया प्रति
5 SC/ST के लिए जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति
6 02 प्रति रंगीन फोटो
7 इमेल आई डी एवं मोबाइल न.

वर्ग 11 वीं में नामांकन हेतु आवश्यक कागज़ात -

1 OFSS द्वारा जारी नामांकन सूचना पत्र
2 नामांकन आवेदन पत्र भरा हुआ
3 विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र मूल प्रति (अपने विद्यालय को छोड़कर)
4 मैट्रिक अंक पत्र की छाया प्रति
5 पंजीयन की छाया प्रति
6 बैंक खाता की छाया प्रति
7 आधार कार्ड की छाया प्रति
8 SC/ST के लिए जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति
9 02 प्रति रंगीन फोटो
10 इमेल आई डी एवं मोबाइल न.
11 माइग्रेशन (प्रवजन) प्रमाण पत्र की मूल प्रति (अन्य बोर्ड के छात्रों के लिए)

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

आदेश

संचिका संख्या : 09/विविध (शुल्क)–41/2021............./राज्य सरकार, शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक 13.06.1981, 803 दिनांक 18.12.1986, आदेश ज्ञापांक–720 दिनांक 01.10.1996, पत्रांक 587 दिनांक 28.09.2000 एवं आदेश ज्ञापांक–1028 दिनांक 09.07.2013 द्वारा राजकीय/राजकीयकृत (प्रोजेक्ट एवं उत्क्रमित सहित)/मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों तथा आदेश ज्ञापांक–831 दिनांक 03.08.2011 एवं तत्संबंधी शुद्धिपत्र द्वारा राजकीय/राजकीयकृत (प्रोजेक्ट एवं उत्क्रमित सहित)/मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों से शिक्षण एवं अन्य शुल्क लेने का प्रावधान किया गया है।

सम्यक् विचारोपरान्त राजकीय/राजकीयकृत (प्रोजेक्ट एवं उत्क्रमित सहित)/मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक तथा राजकीय/राजकीयकृत (प्रोजेक्ट एवं उत्क्रमित सहित)/मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित छात्र/छात्राओं से निम्नलिखित पुनरीक्षित शुल्क लिये जायेंगे :–

क्र०	विवरण	वर्तमान में निर्धारित शुल्क (रूपये में)		पुनरीक्षित शुल्क (रूपये में)	
		माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक
1.	प्रवेश शुल्क	20	15	50	50
2.	शिक्षण शुल्क	लागू नहीं	180 प्रति वर्ष (कला/वाणिज्य) 240 प्रति वर्ष (विज्ञान/व्या0)	लागू नहीं	180 प्रति वर्ष (कला/वाणिज्य) 240 प्रति वर्ष (विज्ञान/व्या0/कृषि)
3.	विकास शुल्क (भवन निर्माण, मरम्मती उपस्कर इत्यादि)	80 (दो किस्तों में)	160	80	200
4.	स्थानान्तरण शुल्क	10	20	10	20
5.	विज्ञान/व्या0/कृषि प्रयोगशाला	10 (दो किस्तों में)	200 प्रति वर्ष (विज्ञान/व्या0)	10	200 प्रति वर्ष (विज्ञान/व्या0/कृषि)
6.	अनुपस्थिति दण्ड	1	लागू नहीं	विलोपित	लागू नहीं
7.	शुल्क विलम्ब दण्ड	1 (माह के 30 तारीख तक शुल्क जमा नहीं रहने पर)	लागू नहीं	विलोपित	लागू नहीं
8.	पलायन शुल्क	1 (मध्याह्न के बाद अनुपस्थित होने पर)	लागू नहीं	विलोपित	लागू नहीं
9.	पुनः प्रवेश (रिएडमिशन)	7 (दस दिन अनुपस्थित रहने/शुल्क नहीं जमा करने की स्थिति में)	लागू नहीं	विलोपित	विलोपित

10.	क्रीड़ा खेल–कूद से संबंधित सामग्रियों के क्रय, रख–रखाव एवं वार्षिक प्रतियोगिता हेतु	10 (दो किस्तों में)	20	20	30
11.	मनोरंजन (कॉमन रूम, मैगजीन, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम नाट्य, विचार गोष्ठी आदि)	10 (दो किस्तों में)	20	20	60
12.	निर्धन छात्र कोष	4 (दो किस्तों में)	10	10	10
13.	विद्युत शुल्क (बिजली के तार का क्रय एवं विद्युत उपकरणों का रख–रखाव)	10 (दो किस्तों में)	60	20	80
14.	पुस्तकालय	लागू नहीं	20	लागू नहीं	20
15.	विद्यालय रख–रखाव (ब्लैक बोर्ड एवं रंग–रोगन,प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय मैदान, भवन एवं शैचालय की साफ–सफाई)	लागू नहीं	150	50	150
16.	परिचय पत्र	लागू नहीं	20	20	20
17.	बालचर	10 (दो किस्तों में)	लागू नहीं	10	लागू नहीं
18.	विविध (सांस्कृतिक कार्यक्रम, इत्यादि)	लागू नहीं	50	लागू नहीं	विलोपित
19.	फार्म / प्रोस्पेक्टस	लागू नहीं	50	लागू नहीं	विलोपित
20.	परीक्षा शुल्क (वर्ष में तीन परिक्षाऐं आयोजित करने एवं प्रगति पत्रक हेतु)	75 (वार्षिक परीक्षा) 25 (वर्ग 9 एवं 10 की अन्य परीक्षा हेतु प्रति परीक्षा)	वर्ष में तीन परीक्षाऐं आयोजित करने एवं प्रगति पत्रक हेतु 100 (कला / वाणिज्य) 120 (विज्ञान / व्या0)	120 (तीन परीक्षा के लिए)	120 (कला / वाणिज्य) 120 (विज्ञान / व्या0 / कृषि)

2. विभाग द्वारा शुल्क के संबंध में पूर्व निर्गत अन्य निदेश / आदेश विलोपित माने जायेगे।

3. कक्षा–9 में नामांकित छात्र / छात्रा का उसी विद्यालय में नामांकन होने की स्थिति में कक्षा–11 में नामांकन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4. अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं विकास शुल्क नहीं लिया जायेगा।

5. (i) सभी शुल्क वर्ग 9वीं एवं 11वीं में नामांकन के समय तथा वर्ग 10वीं एवं 12वीं में सत्रारंभ के समय लिये जायेगे।

(ii) क्रमांक–16 पर अंकित परिचय पत्र शुल्क केवल वर्ग 9वीं एवं 11वीं में नामांकन के समय लिये जायेगे।

6. क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 की राशि विकास कोष में जमा होगी।

7. अन्य क्रमांकों (1, 2, 3 एवं 4 को छोड़कर) की राशि छात्र कोष में जमा होगी।

8. उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विविध (सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाट्य, विचार गोष्ठी इत्यादि) के लिए निर्धारित शुल्क को मनोरंजन (कॉमन रूम, मैग्जींन अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क नाट्य, विचार गोष्ठी आदि) में समाहित किया गया है।

9. क्रमांक 19 पर अंकित फार्म/प्रोस्पेक्टस के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क को विलोपित किया जाता है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इस मद् मे् राशि विद्यालयों को उपलब्ध करायी जाती है।

10. जिस समय शुल्क की अदायगी देय है उसी समय शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थिति में विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक अदायगी की मोहलत दे सकते है। बढ़ाई गई अवधि तक शुल्क की अदायगी नहीं होने पर विद्यालय प्राचार्य/प्रधानाध्यापक छात्र का नामांकन स्थगित/रदद् कर सकते हैं।

11. (i) विकास कोष एवं छात्र कोष के लिए छात्रों को निर्दिष्ट राशि की प्राप्ति रसीद दी जायेगी।

(ii) प्राप्ति रसीद अंकेक्षण के लिए सुरक्षित रखा जायेगा।

(iii) छात्र कोष में संचित राशि के प्रबंध के लिए विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक तथा दो वरीय शिक्षकों की एक समिति होगी, जिसकी प्रस्वीकृति से व्यय किया जायेगा। प्रत्येक वितीय वर्ष में छात्र कोष के व्यय एवं व्यय से संबंधित लेखा का संधारण किया जायेगा एवं अंकेक्षण के लिए मांगे जाने पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(iv) निर्धन छात्र कोष के तहत् प्राप्त राशि का उपयोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले छात्रों के लिए तत्संबंधी अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र प्राप्त कर किया जायेगा।

(v) विकास कोष/छात्र कोष की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी तथा इस कोष का संचालन माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत विकास कोष एवं छात्र कोष के लिए निर्गत आदेश के अनुरूप किया जायेगा।

12. उक्त आदेश निर्गत तिथि से प्रभावी होगें।

13. उपरोक्त पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

21/12/21

विशेष सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

E:/ Anukamiye Vidyalaya (Office Oder) R. 3

ज्ञापांक : 09 / विविध (शुल्क)–41 / 2021–720 पटना, दिनांक 21-12-2021

प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना / सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना / सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक) / सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) / माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि अपने जिला अंतर्गत अवस्थित माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इस आशय से संबंधित सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Gaur 21/12/21

विशेष सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

E:/ Anukarniye Vidyalaya (Office Oder) R. 4

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

आदेश

संचिका संख्या : 09/विविध (शुल्क)–41/2021............../राज्य सरकार, शिक्षा विभाग के अधिसूचना संख्या–1269 दिनांक 13.06.1981, 803 दिनांक 18.12.1986, आदेश ज्ञापांक–720 दिनांक 01.10.1996, पत्रांक 587 दिनांक 28.09.2000 एवं आदेश ज्ञापांक–1028 दिनांक 09.07.2013 द्वारा राजकीय/राजकीयकृत (प्रोजेक्ट एवं उत्क्रमित सहित)/मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों तथा आदेश ज्ञापांक–831 दिनांक 03.08.2011 एवं तत्संबंधी शुद्धिपत्र द्वारा राजकीय/राजकीयकृत (प्रोजेक्ट एवं उत्क्रमित सहित)/मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों से शिक्षण एवं अन्य शुल्क लेने का प्रावधान किया गया है।

सम्यक् विचारोपरान्त राजकीय/राजकीयकृत (प्रोजेक्ट एवं उत्क्रमित सहित)/मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक तथा राजकीय/राजकीयकृत (प्रोजेक्ट एवं उत्क्रमित सहित)/मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित छात्र/छात्राओं से निम्नलिखित पुनरीक्षित शुल्क लिये जायेंगे :–

क्र०	विवरण	वर्तमान में निर्धारित शुल्क (रूपये में)		पुनरीक्षित शुल्क (रूपये में)	
		माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक
1.	प्रवेश शुल्क	20	15	50	50
2.	शिक्षण शुल्क	लागू नहीं	180 प्रति वर्ष (कला/वाणिज्य) 240 प्रति वर्ष (विज्ञान/व्या०)	लागू नहीं	180 प्रति वर्ष (कला/वाणिज्य) 240 प्रति वर्ष (विज्ञान/व्या०/कृषि)
3.	विकास शुल्क (भवन निर्माण, मरम्मती उपस्कर इत्यादि)	80 (दो किस्तों में)	160	50	200
4.	स्थानान्तरण शुल्क	10	20	10	20
5.	विज्ञान/व्या०/कृषि प्रयोगशाला	10 (दो किस्तों में)	200 प्रति वर्ष (विज्ञान/व्या०)	10	200 प्रति वर्ष (विज्ञान/व्या०/कृषि)
6.	अनुपस्थिति दण्ड	1	लागू नहीं	विलोपित	लागू नहीं
7.	शुल्क विलम्ब दण्ड	1 (माह के 30 तारीख तक शुल्क जमा नहीं रहने पर)	लागू नहीं	विलोपित	लागू नहीं
8.	पलायन शुल्क	1 (मध्याह्न के बाद अनुपस्थित होने पर)	लागू नहीं	विलोपित	लागू नहीं
9.	पुनः प्रवेश (रिएडमिशन)	7 (दस दिन अनुपस्थित रहने/शुल्क नहीं जमा करने की स्थिति में)	लागू नहीं	विलोपित	विलोपित

E:/ Anukamiya Vidyalaya (Office Oder) R. 1

2022/4/1 13:21

10.	क्रीड़ा खेल–कूद से संबंधित सामग्रियों के क्रय, रख–रखाव एवं वार्षिक प्रतियोगिता हेतु	10 (दो किस्तों में)	20	20	30
11.	मनोरंजन (कॉमन रूम, मैगजीन, अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम नाट्य, विचार गोष्ठी आदि)	10 (दो किस्तों में)	20	20	60
12.	निर्धन छात्र कोष	4 (दो किस्तों में)	10	10	10
13.	विद्युत शुल्क (बिजली के तार का क्रय एवं विद्युत उपकरणों का रख–रखाव)	10 (दो किस्तों में)	60	20	60
14.	पुस्तकालय	लागू नहीं	20	लागू नहीं	20
15.	विद्यालय रख–रखाव (ब्लैक बोर्ड एवं रंग–रोगन, प्राथमिक चिकित्सा, विद्यालय मैदान, भवन एवं शौचालय की साफ–सफाई)	लागू नहीं	150	50	150
16.	परिचय पत्र	लागू नहीं	20	20	20
17.	बालचर	10 (दो किस्तों में)	लागू नहीं	10	लागू नहीं
18.	विविध (सांस्कृतिक कार्यक्रम, इत्यादि)	लागू नहीं	50	लागू नहीं	विलोपित
19.	फार्म/प्रोस्पेक्टस	लागू नहीं	50	लागू नहीं	विलोपित
20.	परीक्षा शुल्क (वर्ष में तीन परिक्षाएं आयोजित करने एवं प्रगति पत्रक हेतु)	75 (वार्षिक परीक्षा) 25 (वर्ग 9 एवं 10 की अन्य परीक्षा हेतु प्रति परीक्षा)	वर्ष में तीन परीक्षाएं आयोजित करने एवं प्रगति पत्रक हेतु 100 (कला/वाणिज्य) 120 (विज्ञान/व्या0)	120 (तीन परीक्षा के लिए)	120 (कला/वाणिज्य) 120 (विज्ञान/व्या0/कृषि)

2. विभाग द्वारा शुल्क के संबंध में पूर्व निर्गत अन्य निदेश/आदेश विलोपित माने जायेगे।

3. कक्षा–9 में नामांकित छात्र/छात्रा का उसी विद्यालय में नामांकन होने की स्थिति में कक्षा–11 में नामांकन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4. अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं विकास शुल्क नहीं लिया जायेगा।

2022/4/1 13:2

5. (i) सभी शुल्क वर्ग 9वीं एवं 11वीं में नामांकन के समय तथा वर्ग 10वीं एवं 12वीं में सत्रारं के समय लिये जायेंगे।

(ii) क्रमांक–16 पर अंकित परिचय पत्र शुल्क केवल वर्ग 9वीं एवं 11वीं में नामांकन के समय लिये जायेंगे।

6. क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 की राशि विकास कोष में जमा होगी।

7. अन्य क्रमांकों (1, 2, 3 एवं 4 को छोड़कर) की राशि छात्र कोष में जमा होगी।

8. उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए विविध (सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाट्य, विचार गोष्ठी इत्यादि के लिए निर्धारित शुल्क को मनोरंजन (कॉमन रूम, मैग्जीन अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क नाट्य, विचार गोष्ठी आदि) में समाहित किया गया है।

9. क्रमांक 19 पर अंकित फार्म/प्रोस्पेक्टस के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क को विलोपित किया जाता है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इस मद में राशि विद्यालयों को उपलब्ध करायी जाती है।

10. जिस समय शुल्क की अदायगी देय है उसी समय शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थिति में विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक अदायगी की मोहलत दे सकते है। बढ़ाई गई अवधि तक शुल्क की अदायगी नहीं होने पर विद्यालय प्राचार्य/प्रधानाध्यापक छात्र का नामांकन स्थगित/रदद् कर सकते हैं।

11. (i) विकास कोष एवं छात्र कोष के लिए छात्रों को निर्दिष्ट राशि की प्राप्ति रसीद दी जायेगी।

(ii) प्राप्ति रसीद अंकेक्षण के लिए सुरक्षित रखा जायेगा।

(iii) छात्र कोष में संचित राशि के प्रबंध के लिए विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक तथा दो वरीय शिक्षकों की एक समिति होगी, जिसकी प्रस्वीकृति से व्यय किया जायेगा। प्रत्येक वितीय वर्ष में छात्र कोष के व्यय एवं व्यय से संबंधित लेखा का संधारण किया जायेगा एवं अंकेक्षण के लिए मांगे जाने पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(iv) निर्धन छात्र कोष के तहत् प्राप्त राशि का उपयोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करंने वाले छात्रों के लिए तत्संबंधी अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र प्राप्त कर किया जायेगा।

(v) विकास कोष/छात्र कोष की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में रखी जायेगी तथा इस कोष का संचालन माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत विकास कोष एवं छात्र कोष के लिए निर्गत आदेश के अनुरूप किया जायेगा।

12. उक्त आदेश निर्गत तिथि से प्रभावी होगें।

13. उपरोक्त पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

21/12/21

विशेष सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 09/विविध (शुल्क)–41/2021–721 पटना, दिनांक 21-12-2021

प्रतिलिपि : सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक)/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि अपने जिला अंतर्गत अवस्थित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इस आशय से संबंधित सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विशेष सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक L-1284/ सासाराम दिनांक 22/12/2021।

प्रतिलिपि :– सभी कोटि के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापक/सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला–रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला–रोहतास को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, रोहतास की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
रोहतास, सासाराम।

2022/4/1 13:21